न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 916 सन 2019

अनवान :–

1. बलवीरसिंह पुत्र भागीरथ जाति रेगर निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. भंवरी देवी पत्नी भागीरथ जाति रैगर निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. देवीलाल पुत्र भागीरथ जाति रैगर निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. रूपराम पुत्र भागीरथ जाति रैगर निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. किरण पत्नी रूधवीर जाति रैगर निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सुभाष पुत्र रूधवीर जाति रैगर निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. सिकन्दर पुत्र रधवीर जाति रैगर निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. सपना पुत्री रूधवीर जाति रैगर निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. मनीषा पुत्री रूधवीर जाति रैगर निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. मीरादेवी पुत्री भागीरथ पत्नि रामलाल जाति रेगर निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुगानगढ
10. शारदा देवी पुत्री भागीरथ पत्नि पूनमचन्द जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. भगवानी पुत्री भागीरथ पत्नी बृजलाल जाति रैरग निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 13/07/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 288/276 की कुल 8.7550हैक भूमि भागीरथ पुत्र मुलाराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मूलाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मूलाराम के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र भागीरथ के नाम से दर्ज हुई। वादी के पिता भागीरथ पुत्र गूलाराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है

वादी के पिता भागीरथ पुत्र मूलाराम के देहान्त होने के वाद उनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 भागीरथ के नाम से दर्ज भूमि के बहिब के हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 4 ,7 ,8 प्रतिवादी संख्या 5 की बहने है प्रतिवादी संख्या 10 ,11 वादी की बहने है एवं मृतक भागीरथ की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,7 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ,5 ,6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

संख्या 2 ता 3 ,5 ,6का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ,5 ,6 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पति भागीरथ के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है भागीरथ के जायज व कानुनी वारसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है जो भागीरथ के नाम से दर्ज भूमि के वहिव के हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 4 ,7 ,8 प्रतिवादी संख्या 5 की बहने है प्रतिवादी संख्या 10 ,11 वादी की बहने है एवं मृतक भागीरथ की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,7 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ,5 ,6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ,5 ,6 का बराबर का हक हिस्सा है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ,5 ,6 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 12 पेरोकार राज ने जबाव पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निरतारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाव शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्ररतुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 288/276 की कुल 8.7550हैक्ट भूमि भागीरथ पुत्र मुलाराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मूलाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मूलाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र भागीरथ के नाम से दर्ज हुई। वादी के पिता भागीरथ पुत्र मूलाराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है

वादी के पिता भागीरथ पुत्र मूलाराम के देहान्त होने के वाद उनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 भागीरथ के नाम से दर्ज भूमि के बहिब के हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 4 ,7 ,8 प्रतिवादी संख्या 5 की बहने है प्रतिवादी संख्या 10 ,11 वादी की बहने है एवं मृतक भागीरथ की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,7 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ,5 ,6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ,5 ,6का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी राजमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 288/276 की कुल 8.7550हैक भूमि भागीरथ पुत्र मुलाराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है वादी के पिता भागीरथ का देहान्त है भागीरथ के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है जो भागीरथ के नाम से दर्ज भूमि को बहिब हकदार है वादी ने अपने कथनों के समर्थन में मृत्यू एवं वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिससे वादी के कथनों की पुष्टी होती है। अर्थात वाद भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जायज हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,1 , 4 ,7 ता 11 जो वादी की बहने/माता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,1 , 4 ,7 ता 11 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3, 5, 6 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3, 5, 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका बाहमी बटवारा कर लिया है उसके अनुसार भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 4, 7 ता 11 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 288/276 की कुल 8.7550हैक भूमि भागीरथ पुत्र मुलाराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादी के पिता मृतक भागीरथ पुत्र मूलाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी का 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13/07/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. बलवीरसिह पुत्र भागीरथ जाति रेगर निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 भंवरी देवी पत्नी भागीरथ जाति रैगर निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. देवीलाल पुत्र भागीरथ जाति रैगर निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. रूपराम पुत्र भागीरथ जाति रैगर निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. किरण पत्नी रूधवीर जाति रैगर निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सुभाष पुत्र रूधवीर जाति रैगर निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. सिकन्दर पुत्र रूधवीर जाति रैगर निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. रापना पुत्री रूधवीर जाति रैगर निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. मनीषा पुत्री रूधवीर जाति रैगर निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. मीरादेवी पुत्री भागीरथ पत्नि रामलाल जाति रेगर निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
10. शारदा देवी पुत्री भागीरथ पत्नि पूनमचन्द जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. भगवानी पुत्री भागीरथ पत्नी बृजलाल जाति रैरग निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 916 सन 2019 निर्णय दिनांक– 13/7/20

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 288/276 की कुल 8.7550हैक भूमि भागीरथ पुत्र मुलाराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादी के पिता मृतक भागीरथ पुत्र मूलाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी का 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/07/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner